न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 59/2016 G.C.M.S. No. 2016/00249 दर्ज दिनांक : 09.09.2016

अपीलार्थिगण:

1. रावतनाथ पुत्र चमननाथ
2. झालनाथ पुत्र चमननाथ
3. अन्तरी बेवा चमननाथ जातियान नाथ, निवासीगण गोल(उम्मेदाबाद) तहसील व जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. पुष्पा देवी पत्नी बाबूनाथ
2. शेरनाथ पुत्र बाबूनाथ
3. मदननाथ पुत्र बाबूनाथ
4. कमलादेवी पुत्री बाबूनाथ पत्नी खेतनाथ, निवासी पिजोपुरा
5. चन्द्रादेवी पुत्री बाबूनाथ पत्नी पप्पूभारती निवासी चांदणा
6. लक्ष्मीदेवी पुत्री बाबूनाथ, पत्नी संतोकनाथ, निवासी नाथो की ढाणी
7. शंकरनाथ पुत्र तगेनाथ निवासी मायलावास चौराहा, मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
8. जबरनाथ पुत्र संतोकनाथ उर्फ चंतनाथ उर्फ चन्दननाथ
9. मोवननाथ उर्फ मोहननाथ पुत्र संतोकनाथ उर्फ चंतनाथ उर्फ चन्दननाथ
10. कीकनाथ उर्फ गीगनाथ पुत्र संतोकनाथ उर्फ चंतनाथ उर्फ चन्दननाथ
11. महेन्द्रनाथ उर्फ प्रकाशनाथ पुत्र संतोकनाथ उर्फ चंतनाथ उर्फ चन्दननाथ
12. भागुदेवी उर्फ भागवती बेवा संतोकनाथ उर्फ चंतनाथ उर्फ चन्दननाथ
13. छैलनाथ पुत्र पन्नेनाथ
14. बलवंतनाथ पुत्र पन्नेनाथ
15. अर्जुननाथ पुत्र पन्नेनाथ
16. पवनदेवी पत्नी भंवरनाथ पुत्र विशननाथ
17. घेवरनाथ पुत्र विशननाथ
18. किशन प्रसाद पुत्र धर्मनारायण
19. तेजनारायण पुत्र धर्मनारायण, जातियान ब्राहमण, निवासीगण जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

20. पोकरनाथ पुत्र फुलनाथ
21. अजबनाथ पुत्र साकलनाथ उर्फ जगदीशनाथ
21 रमेशनाथ उर्फ पिन्टूनाथ पुत्र सांकलनाथ उर्फ जगदीशनाथ
22 रमेशनाथ उर्फ पिन्टूनाथ पुत्र साकलनाथ उर्फ जगदीशनाथ
23. पोनीदेवी उर्फ सांकलनाथ उर्फ जगदीशनाथ(फौत)
24. रणछोडनाथ पुत्र रामनाथ (फौत) के कायम मुकामः—
(अ) सोहनदेवी पुत्री रणछोड़नाथ(पत्नी गणेशपुरी जाति स्वामी,निवासी रामपुरा वाया कालन्द्री, जिला सिरोही)
(ब) दरियादेवी पुत्री रणछोड़नाथ(पत्नी मुकनवान, जाति स्वामी, निवासी काठाडी, तहसील सिवाना, जिला बाड़मेर)
(स)उमादेवी पुत्री रणछोडनाथ(पत्नी चम्पाभारती, जाति स्वामी, निवासी रेबारियो का न्याति नोहरा के पास, बालोतरा, जिला बाड़मेर)
25 मंगलनाथ पुत्र रामनाथ
26 बादरनाथ उर्फ बादलनाथ पुत्र रामनाथ
27 खेताराम पुत्र जैसाजी जाति माली
28 कपूराराम पुत्र सवदाजी, जाति माली, निवासी गोल(उम्मेदाबाद)
29. रेशमखां पुत्र लादूखां, जाति मुसलमान, निवासी कोलर
30. अब्दुलखां, पुत्र बगदेखां, जाति मुसलमान, निवासी केशवना, तहसील व जिला जालोर
31. मैनेजर मारवाड़ ग्रामीण बैक शाखा बिशनगढ
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा सहायक कलक्टर, जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2013 बअनवान रावतनाथ बनाम पुष्पादेवी में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2016

पैरोकारः—

1. श्री मंगल सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री सिकन्दर अली, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट।

निर्णय

दिनांकः 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरियें अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सहायक कलक्टर, जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2013 बअनवान रावतनाथ बनाम पुष्पादेवी में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद बाबत् खातेदारी हक घोषित करने, रेकर्ड दुरस्ती, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने एवं साथ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् दिलाये जाने अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 17 व 20 से 26 की शामलाती पुश्तैनी कब्जा काश्त की खातेदारी आराजी सरहद मौजा गोल (उम्मेदाबाद), तहसील व जिला जालोर में खसरा संख्या 1463 से 1473, 1452, 1454, 1455, 1683, 1684, 1685, 1686 आई हुई है जिसके पुराने खसरा नं.1201, 1203, 1204 एवं 1283 है तथा उपरोक्त खातेदारी भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स संख्या–1 से लगायत 17 एवं 20 से 26 के शामलाती कब्जा काश्त की, पुश्तैनी खुद काश्त की खातेदारी भूमि है।

उपरोक्त खातेदारी भूमि हम अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स सं 1 से 17 व 20 से 26 के पुश्तैनी कब्जा कारत की व खुद कास्त की वक्त जागीर के समय की हैं व मौके पर भी उपरोक्त हिस्सानुसार ही आज दिन तक शांतिपूर्वक काश्त लगातार बिना किसी बाधा व रूकावट के करते आ रहे हैं व उपरोक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर–1463 से 1473 में मकान भी रहवास हेतु बने हुए हैं तथा जागीर रिज्यूम होने के समय भी हम उपरोक्त खातेदारी भूमि में खातेदार बने तथा उक्त खातेदारी भूमि हमारे जागीर व खुद काश्त व कब्जा काश्त की हैं। जिसके प्रथम सैटलमेन्ट के बाद राजस्व रेकर्ड में खतौनी बन्दोबस्त 2009 से 2028 बनी जिस में गलती से मकबूजा जागीर 3/4 हिस्सा गलत दर्ज हो गया व रेस्पोडेन्ट्स सं 25, 26 व 21 से 23 के दादा व रेस्पोडेन्ट सं. 20 के पिता–फूलनाथ एवं रेस्पोडेन्ट सं. 24–अ.ब.स के पिता रणछोडनाथ पुत्र रामनाथ के नाम 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 से 7 के पिता–तगेनाथ व हम अपीलान्ट्स सं. 1 व 2 के पिता व 3 के पति चमननाथ के नाम 1/4 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट सं. 8 से 11 के पिता व 12 के पति संतोक नाथ उर्फ चंत उर्फ चंदननाथ पुत्र वेदनाथ के नाम 1/4 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट सं. 13 से 15 के पिता पन्नेनाथ व 16 के ससुर विशननाथ व 17 के पिता–विशननाथ पुत्र थाननाथ के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज हो गई तथा खुद काश्त होना इन्दाज किया जबकि उपरोक्त खातेदारी पुराने खसरा नम्बर–1204, 1201, 1203 हम अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 17 व 20 से 26 के खुद काश्त की हैं, जिस पर प्रथम सैटलमेन्ट के पूर्व से लगाकर आज दिन तक मौके पर लगातार हम काबिज काश्त हैं इसमें जागीरदार का नाम गलत दर्ज हुआ है।

उपरोक्त खातेदारी भूमि में मिसल बन्दोबस्त बनने के बाद सन् 1962 में धर्मनारायण जागीरदार का 3/4 हिस्सा धारा–19 के तहत हमारे नाम खातेदारी अधिकार घोषित करते समय म्यूटेशन नं. 131 भरा जिसमें खसरा नम्बर–1204, 1201, 1203 कुल रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा में से खसरा नम्बर–1204 व 1203 रकबा–22 बीघा में से जागीरदार धर्मनारायण का नाम हटाया व साथ में गलती से बिना किसी आधार के व बिना किसी आदेश के नियम विरूद्ध धारा–19 आर.टी. एक्ट के नियमों के विपरित रेस्पोडेन्ट्स सं. 25 व 26 तथा 21 व 22 के दादा 23 के ससुर व रेस्पोडेन्ट सं. 20 पोकरनाथ के पिता–फुलनाथ का नाम एवं हम अपीलान्ट्स सं. 1 व 2 के पिता व 3 के पति चमननाथ का नाम एवं रेस्पोडेन्ट सं. 13 से 15 के पिता–पन्नेनाथ का नाम व रेस्पोडेन्ट सं. 16 के ससुर व 17 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पिता–विशननाथ का नाम उक्त म्यूटेशन के जरिये गलतरूप से हटा दिया, जबकि ऐसा करने का पटवारी हल्का व तहसीलदार जालोर रेस्पोडेन्ट सं. 32 को कोई अधिकार नहीं था व नियम विरूद्ध गलत म्यूटेशन के आधार पर हमारे नाम हटाये गये व खसरा नम्बर–1201 में हमारे खाते में से जागीरदार रेस्पोडेन्ट सं 18 व 19 के पिता–धर्मनारायण वल्द सुखदेव प्रसाद का नाम नहीं हटाया जो हटाना चाहिये था, क्योंकि धारा–19 के तहत म्यूटेशन भरते वक्त व स्वीकृत करते वक्त केवल जागीरदार धर्मनारायण का ही नाम हटाना था। सन् 1962 में रेस्पोडेन्ट सं. 25 व बादलनाथ व चमननाथ भी नाबालिग थे तथा नाबालिग की खातेदारी भूमि को धारा–19 तहत नहीं हटाया जा सकता हैं तथा न ही नाबालिग की भूमि के खातेदारी अधिकार ही किसी अन्य सह खातेदार को प्रदान किये जा सकते हैं। नाबालिग व्यक्ति के खातेदारी अधिकार धारा–19 के जरिये हस्तान्तरित नहीं होते तथा उपरोक्त खातेदारी भूमि में हम अपीलान्ट्स का लगातार बिना किसी बाधा व रूकावट के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त होने से एडवर्श पजेशन के आधार पर एवं हमारे खुद काश्त की व पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमि होने से हमें खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं।

वर्तमान खसरा नम्बर–1463 से 1473 कुल रकबा–3.56 हैक्टर में गलत आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 का गलत हिस्सा दर्ज होने से चुपके से बाले बाले उक्त भूमि में से रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 व 4 से 6 ने अपना हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 29 व 30 को दिनांक 03.12.2012 को बेचान कर दिया है व बेचान रजिस्ट्री भी उप पंजीयक कार्यालय जालोर में गलत आधार पर करवा दी जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 का मौके पर उपरोक्त खातेदारी भूमि में गलत इन्द्राज हिस्सानुसार कब्जा काश्त नहीं है। अपीलान्ट्स का उक्त भूमिं में 1/8 हिस्सा हक खातेदारी का हैं तथा इसी माफिक काबिज हैं। बिना कब्जा के आधार पर सम्पति अन्तरण अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि हस्तान्तरित नहीं की जा सकती हैं तथा न ही बेचान रजिस्ट्री ही की जा सकती हैं तथा न ही रजिस्ट्री में दर्ज हिस्सा अनुसार ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 की भूमि आती हैं, जिससे उक्त बेचान रजिस्ट्री अवैध व शून्य हैं तथा रेस्पोडेन्ट सं. 7 भी उक्त भूमि में से अपने नाम जो गलत इन्द्राज हैं तथा अपीलान्ट्स की भूमि हैं उसका बेचान करने पर आमादा है तथा कभी भी बेचान कर सकता हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 7 ने भी उक्त भूमि को बेचान करने की हमें धमकी दी है, जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 का उक्त भूमि में 1/8 हिस्सा ही बंट में आता हैं तथा न ही मौके पर आज दिन तक रेस्पोडेन्ट सं. 29 व 30 का कब्जा ही है, मौके पर उपरोक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 का राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज अनुसार कब्जा नहीं है व केवल मात्र 1/8 हिस्सा अनुसार ही कब्जा काश्त हैं, रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 को 1/8 हिस्सा भूमि से ज्यादा यानि अपीलान्ट की भूमि को बेचान करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं, जिससे उक्त बेचान दस्तावेज अवैध व शून्य होने के आधार पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार रेस्पोडेन्ट सं. 29 व 30 रेस्पोडेन्ट सं. 29 व 30 को उत्पन्न नहीं होते हैं जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 29 व 30 को उक्त खातेदारी भूमि में प्रवेश करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तथा उपरोक्त खातेदारी भूगि खातेदारी अधिकार तयं करवाये बिना प्रवेश करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं तथा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर एवं अपीलान्द के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कब्जा काश्त के आधार पर एवं एडवर्श पजेशन के आधार पर खुद काश्त की पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमि होने से हम अपीलान्ट को व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 17 व 20 से 26 की संयुक्त कब्जा काश्त की व खातेदारी की भूमि होने से उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि को अपने–अपने हिस्सानुसार व बंट अनुसार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 17 व 20 से 28 खातेदारी हक प्राप्त करने के अधिकारी होने से हम अपीलान्ट ने उपरोक्त खातेदारी भूमि में खातेदारी हक घोषित करने का दावा अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया हुआ है तथा उक्त भूमि का बंटवाड़ा भी हम अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के बीच में पूर्वजों के समय से एवं हमारे द्वारा आज से 40 वर्षों पहले मौके पर भौतिकरूप से आपसी सहमति से बंटवाड़ा भी किया हुआ है, तथा खाद आदी डालकर अपने–अपने बंट की भूमि को उपजाऊ व समतल किया है व अपने बंट में रहवास हेतु मकान भी बनाये हुए है उक्त भूमि के गलत इन्द्राज होने के संबंध में पता चलने पर हम अपीलान्ट में रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 17 का उक्त भूमि को अपने–अपने हिस्सानुसार नाम करवाने हेतु कहा परन्तु रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 17 ने हमारे नाम हमारे हिस्से की भूमि नहीं करवाई तब नकले आदि लेकर दावा पेश किया जिसके साथ में प्रार्थना पत्र बाबत् जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा का अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में न्याय आपके द्वार में फोलोअप कैम्प कोर्ट बमुकाम, उम्मेदाबाद में सभी अपीलान्ट व सभी रेस्पोडेन्ट्स की अनुपस्थिति में बिना राजीनामा के प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करने की भारी भुल की है तथा मजमेआम भी किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई तथा एक तरफा आदेश पारित किया है तथा अपीलान्ट रावतनाथ को नहीं सुना गया व रावतनाथ को कहा कि उम्मेदाबाद में पत्रावली पेश हुई है जिससे आपकी उपस्थिति हेतु हस्ताक्षर करो, इस कारण केवल मात्र एक अपीलान्ट रावतनाथ के हस्ताक्षर करवाये हैं, तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में अपीलान्ट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पेश उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् अनिषेधाज्ञा जारी करने की पत्रावली को विस्तृत रूप से बिना पढे ही गलत तथ्य लिखकर गलत आदेश पारित किया है तथा अपीलान्ट के तथ्यों को एवं अधीनस्थ न्यायालय में पेश दस्तावेजों को भी अनदेखा किया गया हैं व अपने आदेश में भी अपीलान्ट द्वारा पेश दस्तावेजों का व तथ्यों का वर्णन नहीं किया है, तथा केवल मात्र अजनबी खरीददार को फायदा पहुंचाने के लिए गलत आदेश पारित किया है तथा जमाबंदी में दर्ज गलत इन्द्राज के आधार पर आदेश पारित किया है, तथा रेस्पोंडेन्ट सं. 1 से 7 तथा उसके बाद खरीददारों का खसरा नम्बर–1463 से 1473 की भूमि में कब्जा भी गलत माना है तथा अधीनस्थ न्यायालय में आदेश से पूर्व मौके की स्थिति की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई थी, तथा सभी रेस्पोडेन्ट्स का अभी तक जबाब भी पेश नहीं हुआ था. बीच में लोक अदालत कैम्प आने से उक्त पत्रावली कैम्प में रखी गई थी, तथा अपीलान्ट को बिना सुने ही व सुनवाई का व सबुत पेश करने का अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को गलत खारीज किया है। रेस्पोडेन्ट सं. 29 व 30 का कब्जा काश्त नहीं है, जिससे उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पूर्ण रूप से अपील अपीलान्ट के पक्ष में साबित है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र गलत खारिज किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलान्ट के हक में अपील स्वीकार करवाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो रेस्पोडेन्ट्स अपीलान्ट के हक हिस्से व बंट की भूमि में से अपीलान्ट को बेदखल कर देंगे व रहवासीय मकान में तोड़ फोड़ कर देंगे व कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करेंगे तथा जिससे अपीलान्ट को भारी क्षति होंगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपये पैसों में नहीं की जा सकेगी, तथा अपीलान्ट अपने हक व अधिकारों से वंचित होगा जायेगा व न्याय का मकसद की खत्म हो जायेगा।

अतः अपील अपीलान्ट के हक में एवं रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला वाद जारी फरमाई जावें कि रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 से 7 व रेस्पोडेन्ट सं. 29 व 30 हम अपीलान्ट के उपरोक्त खातेदारी भूमि में स्थित बंट व हिस्से की व कब्जा काश्त की भूमि में काश्त करने में एवं उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी या बाधा व रूकावट आदि न तो स्वयं उत्पन्न करें, उपरोक्त अवैध रूप से खरीद की गई भूमि में ता फैसला वाद जबरदस्ती प्रवेश नहीं करे न ही काश्त आदि करावें तथा रेस्पोडेन्ट्स उक्त खातेदारी भूमि को किसी प्रकार से हस्तान्तरित आदि भी नहीं करावें तथा रेस्पोडेन्ट सं. 7. ने गलत इन्द्राज के आधार पर उनके नाम की भूमि को बेचान करने की धमकी दी है, यदि उन्होंने बाले–बाले बेचान कर दी हैं तो उसका भी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं करावें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे व अवैध व शून्य बेचान दस्तावेज के आधार पर म्यूटेशन आदि न तो भरा जायें न ही स्वीकृत किया जावें तथा न ही उक्त आराजी को रहन रखा जाकर ऋण आदि प्राप्त किया जावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपीलांट वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा हस्तगत अपील अन्दर स्याद प्रस्तुत की गयी।
2. अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण की खरीद सुदा अप्रार्थीगण संख्या 29 व 30 की खरीदसुदा व कब्जाकाश्त हैं, अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज है तथा इनके विरूद्ध स्थगन निषेधाज्ञा से इन्हे अपूर्णीय क्षति होने का अंकन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। हमारे विनम्र में पत्रावली के अवलोकन मात्र के स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 17 एवं 20 से 26 की सयुक्त पुश्तैनी आराजी थी। जो मिसल बंदोबस्त के अंकन से स्पष्ट है। वादग्रस्त आराजी पूर्व में जागीरी भूमि थी। जागीरदार की खुदकाश्त आराजी नहीं होने से जागीरदार का नाम विलोपित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी

जाकर काश्तकारो का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया। इसी दौरान नामान्तरण संख्या 131 द्वारा पूर्व जागीरदार का नाम विलोपित करने के साथ साथ काश्तकार फुलनाथ, चमननाथ, पन्नेनाथ, विश्वनाथ का नाम विलोपित कर दिया गया। जो कि प्रथम दृष्टया विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार प्रकरण में खातेदारान का नाम बिना किसी सक्षम प्राधिकार के विलोपित किये जाने एवं विलोपन उपरांत भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टियो के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात का अन्तरण किया जाना प्रथम दृष्टया स्पष्ट है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में निहित अपने खातेदारो अधिकारो की घोषणा के अनुतोष के वादपत्र के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के भू अभिलेख में दर्ज प्रविष्टियो को सारवान रूप से प्रश्नगत किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला बखूबी प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होता है। यदि वादग्रस्त आराजी के भू– अभिलेख को संरक्षित नही किया गया तो भू–अभिलेखीय प्रविष्टियो के आधार पर रेस्पोडेंट द्वारा आगे अन्तरण से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपूर्णीय क्षति संभव है, साथ ही सयुक्त खातेदारी आराजी की स्थिति में अपने हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन प्रत्येक सहखातेदार के पक्ष में निहित होता है तथा अपीलांट्स द्वारा वर्तमान भू–अभिलेखीय प्रविष्टियों को प्रश्नगत किया है। विद्वान विचारण न्यायालय उक्त समस्त बिन्दुओ व तथ्यो के संबंध में कोई विवेचन किए बिना अपीलाधीन नॉन स्पीकिग आदेश द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है।

3. वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारो की घोषणा सबंधित वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार है। प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा बिना किसी सक्षम प्राधिकार के काश्तकारान के नाम भू अभिलेख से विलोपित किए जाने एवं वर्तमान भू–अभिलेखियो प्रविष्टियो का सारवान रूप से प्रश्नगत किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में बखूबी सिद्ध होते है। प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न नही हो लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए, अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का भू अभिलेख ताफैसला वाद सुरक्षित किया जाना विधिसम्मत होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2013 बअनवान रावतनाथ बनाम पुष्पादेवी में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2016 को अपास्त किया जाता हैं। अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट्स को जरिये अस्थायी व्यादेश पाबन्द किया जाता है कि ग्राम गोल(उम्मेदाबाद) तहसील जालोर में स्थित वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान खसरा नम्बर खसरा संख्या 1463 से 1473, 1452, 1454, 1455, 1683, 1684, 1685, 1686 की वर्तमान भू–अभिलेखीय स्थिति में ताफैसला वाद कोई परिवर्तन नहीं करे तथा रहन, बेचान, अन्तरण या अन्य किसी भी विधि से भारित नहीं करे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली